

37/2011 पत्र / इजाजत

दिनांक आज्ञा पत्र

9-1-20

पत्रावली पेश। वकील अपीलकर्ता
आगामी तिथि पर आवेदन के
तहत अपील खारिज
कर दी जायेगी। पत्रावली वास्तु
तः 13-1-20 को पेश की।
AOF

13-1-20

पत्रावली पेश। वकील अपीलकर्ता को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रैस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आवेदन 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलकर्ता ने रैस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलकर्ता अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलकर्ता आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौजदारी नम्बर से कम होकर बाद तारीख तकमील दाखिल दफतर हो।

AOF

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प बुन्दुर्न)

